

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट- /2017/

दिनांक:

—आदेश—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ.14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बँड/ च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1	भगवत प्रसाद मीणा, नर्स प्रथम	सवाई माधोपुर	28.02.90	28.02.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2	बनवारी लाल मंगल, नर्स प्रथम	सवाई माधोपुर	14.07.90	14.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3	कौशल्या खीची, नर्स प्रथम	पाली	27.04.99	27.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
4	पोखरमल, नर्स प्रथम	सीकर	26.07.90	26.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5	नवीन कुमार कंजोलिया, नर्स प्रथम	क.रा.बी. कोटा	22.08.90	22.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6	पर्वतसिंह, नर्स प्रथम	पाली	28.07.90	28.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7	बाबूलाल टेलर, नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
8	समाराम रिण्डासा, नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9	लक्ष्मीनारायण दवे, नर्स प्रथम	पाली	01.08.90	01.08.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
11	किशोर राम चौधरी, नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
12	जस्साराम, नर्स प्रथम	पाली	20.07.90	20.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13	हेमाराम, नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14	छोटूसिंह चम्पावत, नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
15	चम्पालाल, नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
16	दलपत सिंह राठौड़, नर्स प्रथम	पाली	28.06.90	28.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट- /2017/650

दिनांक: 30.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर/पाली।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सवाई माधोपुर/पाली।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खेण्डेला (सीकर)/खारची, रोहट, पाली (पाली)।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी. चिकित्सा कोटा।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर